न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
<u>पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0</u>

सप्लाई विविध संख्या 09/2022 (2022/92)

<u>प्रार्थी</u> :–
विरमदान चारण, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थी</u> :–
असलम अली पुत्र अलाबक्श, सिलावटों का बास, बालेसर, जोधपुर। प्रतिष्ठान इन्साफ तेल घाणी, बस स्टेण्ड, बालेसर, जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

<u>उपस्थिति</u> :–
1. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह राठौड़ (अप्रार्थी)

–: आदेश :– दिनांक :– 27.03.2023

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक/कोर्ट/डीएम /2022/136 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विरमदान चारण, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी असलम अली के विरूद्ध पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 12.01.2022 को गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व गैस सिलेण्डरों से गैस भरने के अवैध कार्य की सूचना मिलने पर इन्साफ तेल घाणी, बस स्टेण्ड, बालेसर, जिला जोधपुर पर वास्ते जांच पहुंचने पर मौके पर दुकान में भारत गैस कम्पनी के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर व एच0 पी0 कम्पनी के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये तथा एक वाहनों में गैस भरने की मशीन पाई गई। मौके पर सिलेण्डर से संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। उक्त घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने तथा धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से अवैध रूप से भंडारित भारत गैस कम्पनी के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर व एच0 पी0 कम्पनी के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर राजसात् करने तथा अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना [illegible]।

प्रार्थना–पत्र [illegible] अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी निरक्षर एवं गरीब परिवार से है। अप्रार्थी को पता नहीं था कि उक्त कृत्य गैर कानूनी है। अप्रार्थी द्वारा पहली बार इस प्रकार की गलती की गई है। अप्रार्थी ने अपने सिलेण्डर रिलीज करने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा निम्न 7 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक गैस भरने की इलेक्ट्रोनिक मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सीरियल नम्बर	कुल वजन (किग्रा में)	खाली वजन (किग्रा में)	गैस का भार (किग्रा में)
1.	BPC	084440H	29.800	15.9	13.9
2.	BPC	642992B	15.700	15.700	00
3.	BPC	297653B	16.00	16.00	00
4.	BPC	150621	17.800	16.500	1.300
5.	HP	243517R	29.800	15.700	14.100
6.	HP	141228H	29.700	15.600	14.100
7.	HP	043542I	16.700	15.700	1

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। एक गैस भरने की मशीन को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:31 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।